भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

Commercial Circular No. 16 of 2026

No.TC-II/2910/2020/Spl trains on Spl charges NDLS, Dt. As signed (3335913)

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

Sub: Fare structure of special trains when Amrit Bharat rake is utilized

REF: 1. CC No. 30 of 2015 dated 21.05.2015.
2. CC no. 55 of 2015 dated 10.09.2015
3. CC no. 08 of 2016 dated 03.02.2016.
4. Corrigendum in CC no. 08 of 2016 dated 29.06.2016.
5. CC no. 39 of 2016 dated 12.07.2016.
6. This office letter no. TC-II/2910/2013/Dynamic pricing/C dated 13.02.2017.
7. CC no. 78 of 2017 dated 29.11.2017.
8. CC no. 03 of 2018 dated 12.01.2018, 37 of 2018, 31 of 2019.
9. Coaching Directorate's instruction no. 2020/CHG/37/7(pt.) dated 14.09.2020.
10. CC no. 27 of 2020 dated 07.12.2020

In continuation to the above instructions, Ministry of Railways have further decided that Special trains on special charges/TOD specials running with Amrit Bharat Rakes shall be categorized as Mail/Express specials and fare for the same shall be charged as per Commercial Circular no. 30 of 2015 and other related instructions issued from time to time.

Other terms and conditions shall remain same for running of special trains.

The above relaxation is hereby given for a period of six months from the date of issue of instruction.

This issues with the concurrence of the Finance Commercial Directorate of Railway Board.

Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly.

This disposes of the SR’s letter no. C. 625/PRS/Specials/Policy dated 24.07.2026.

Digitally signed by Praveen Kumar
Date: 21-08-2026 16:30:15

(Praveen Kumar)
Director Passenger Marketing/Co-ordination
Railway Board

No.TC-II/2910/2020/Spl trains on Spl charges NDLS, Dt. As signed (3335913)
Copy to:-

1. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), RoomNo.224, Rail Bhavan, New Delhi.
2. PFAs, All Zonal Railways
3. Principal Directors of Audit, All Zonal Railways.

Digitally signed by Prashant Arora
Date: 24-08-2026 12:37:26

for Member/Finance, Railways.

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CRB & CEO, M(O&BD), MF, Railway Board.
2. AM/ Revenue, PED/CHG, ED/C&IS, EDIP Railway Board.
3. MD/KRCL, Navi Mumbai
4. MD/CRIS, Chankyapuri, New Delhi.

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA

(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

2026 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 16

सं.टीसी-II/2910/2020/स्पे. ट्रेन्स ऑन स्पे. चार्जेज (3335913) नई दिल्ली, दिनांक यथा हस्ताक्षरित

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलवे

विषय: अमृत भारत रेक का उपयोग किए जाने पर विशेष रेलगाड़ियों का किराया संरचना

संदर्भ: 1. 2015 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 30, दिनांक 21.05.2015

2. 2015 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 55, दिनांक 10.09.2015

3. 2016 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 08, दिनांक 03.02.2016

4. 2016 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 08 का शुद्धिपत्र, दिनांक 29.06.2016

5. 2016 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 39, दिनांक 12.07.2016

6. इस कार्यालय का दिनांक 13.02.2017 का पत्र संख्या टीसी-II/2910/2013/डायनैमिक प्राइसिंग/सी

7. 2017 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 78, दिनांक 29.11.2017

8. 2018 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 03, दिनांक 12.01.2018, 2018 का 37, 2019 का 31

9. दिनांक 14.09.2020 का कोचिंग निदेशालय का अनुदेश संख्या 2020/सीएचजी/37/7(पार्ट)

10. 2020 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 27, दिनांक 07.12.2020

उपरोक्त दिए गए अनुदेशों के क्रम में, रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि अमृत भारत रेक के साथ चलने वाली स्पेशल ट्रेनों (टी.ओ.डी स्पेशल/स्पेशल ट्रेन ऑन स्पेशल किराया) को मेल/एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और इसके लिए किराया

2015 का वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 30 और समय-समय पर जारी अन्य संबंधित अनुदेशों के अनुसार लिया जाएगा।

विशेष रेलगाड़ियों के संचालन के लिए अन्य निबंधन एवं शर्तें समान रहेंगी।

उपरोक्त छूट अनुदेश जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए प्रदान की गई है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त वाणिज्यिक निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

तदनुसार सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाए।

यह पत्र दक्षिण रेलवे के दिनांक 24.07.2026 का पत्र संख्या सी.625/पीआरएस/स्पेशल्स/पॉलिसी का निपटान करता है।

प्रवीण 21/08/26

(प्रवीण कुमार)
निदेशक यात्री विपणन/समन्वय
रेलवे बोर्ड

सं.टीसी-II/2910/2020/स्पे. ट्रेन्स ऑन स्पे. चार्जेज नई दिल्ली, दिनांक यथा हस्ताक्षरित (3335913)

प्रतिलिपि :-

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा संख्या 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रिय रेलवे।
3. प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, सभी क्षेत्रिय रेलवे।

प्रशांत 21/08/26

कृते सदस्य/वित्त, रेलवे

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य(परिचालन एवं व्यवसाय विकास), सदस्य वित्त, रेलवे बोर्ड
2. अपर सदस्य/राजस्व, प्रधान कार्यपालक निदेशक/कोचिंग, कार्यपालक निदेशक/सीएंडआईएस, कार्यपालक निदेशक आईपी, रेलवे बोर्ड
3. प्रबंध निदेशक/केआरसीएल, नवी मुंबई
4. प्रबंध निदेशक/क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।